an>

Title: Need to enhance the Minimum Supoort Price of wheat and other foodgrains.

श्री ओम बिरला (कोटा) : देश के किसानों को संरक्षित करने के उद्देश्य से निर्धारित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में अपनाए जाने वाले मानदण्डों की अव्यावहारिकता पर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त मानदण्डों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा ही लागत से लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक कम होते हैं। उदाहरणार्थ सरकार द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार गेहूं की उत्पादन लागत 1750 रूपए प्रति क्विंटल आंकी गई है जबकि समर्थन मूल्य 1450 रूपए निर्धारित किया गया है अर्थात् गेहूं उत्पादक किसान अपनी लागत से 200 रूपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने को विवश हैं। जहां एक वैश्विक परिदृश्य में किसी भी उत्पाद का मूल्य निर्धारण उसके उत्पादन खर्च में लाभांश जोड़कर किया जाता है वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए मापदण्ड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, महंगाई दर, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव आदि के आधार पर किया जाता है। इन मापदण्डों के कारण निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को लाभ पहुंचाने के स्थान पर हानिप्रद सिद्ध हो रहे हैं। यह स्थिति गेहूं सहित लगभग समस्त फसलों पर लागू होती है।

सरकारी आंकलनानुसार गेंहू उत्पादन की अनुमानित लागत है 1750 रूपए प्रति क्विंटल और समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 1450 रूपए प्रति क्विंटल। इसी प्रकार की विसंगतियां जौ, सरसो, चना, मूंगफली, मक्का, बाजरा आदि खाद्य उत्पादों पर भी हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अरबों रूपए का घाटा हो रहा है फसल बीमा के अव्यवहारिक होने के कारण भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। किसान लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं। मैं सरकार से अविलम्ब गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करता हूं।